सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी–परिपत्र 17 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः–जुलाई 18 ,2017

विषयः हत्या, बलात्कार, डकैती आदि गम्भीर एवं संवेदनशील अपराधों की विवेचना, विवेचना का पर्यवेक्षण, अभियुक्त की गिरफ्तारी, जमानत, जमानत का विरोध एवं जमानत निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

प्रिय महोदय,

क्रिमि0मिस0रिट याचिका सं0 1648/2017 राम किशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा क्रि0मिस0 रिट याचिका सं0 2739/2017 रामहरि शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.05.2017 द्वारा अभियुक्त की जमानत, जमानत का विरोध एवं जमानत निरस्त्रीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तों को समाहित करते हुए एडवायजरी/परिपत्र जारी किये जाने एवं सम्वेदनशील अभियोगों की त्वरित, न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विवेचना की आवश्यकता तथा पीड़ित और जनता में अपराध की विवेचना के प्रति विश्वास के सुदृढ़ीकरण तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संवेदनशील मामलों की विवेचनाओं के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

अतः समय–समय पर उपरोक्त विषयक निर्गत विभिन्न दिशा–निर्देश के अनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश द्वारा दिये गये निर्देशों का समावेश करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. विवेचना–

अपराध के घटना स्थल के निरीक्षण के उपरान्त तुरन्त विवेचना की रूपरेखा तैयार की जाये और उसी के अनुरूप आगे विवेचना की जाये। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर रूपरेखा को संशोधित करते रहें। विवेचना के उपरान्त मामले का परीक्षण सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से कराते हुए आवश्यकतानुसार परामर्श में इंगित बिन्दुओं पर अग्रेतर विवेचना समयबद्ध ढंग से पूर्ण करायी जाये। अभियोजन इकाई से परीक्षण कराने के उपरान्त ही विचारण हेतु मामला न्यायालय को प्रेषित किया जाये। विशेष अपराधों की विवेचना एवं उसके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

डीजी–परिपत्र सं0–40/2016 दिनांक 17.07.2016
डीजी–परिपत्र सं0 66/2015 दिनांक 20.9.2015
डीजी–परिपत्र सं0 31/2015 दिनांक 28.04.2015
डीजी–परिपत्र सं0 51/2015 दिनांक 12.07.2015
डीजी–परिपत्र सं0 52/2015 दिनांक 12.07.2015
डीजी–परिपत्र सं0 44/2015 दिनांक 15.06.2015
डीजी–परिपत्र सं0 41/2013 दिनांक 01.08.2013
डीजी–परिपत्र सं0 67/2013 दिनांक 09.12.2013

विवेचना में आवश्यकतानुसार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाये। बिना किसी विलम्ब के घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। परिवादी एवं साक्षीगण का कथन अविलम्ब लेखबद्ध किये जाये। आवश्यकतानुसार प्रदर्शो का समयबद्ध ढंग से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

परिवादी, उसके परिजनों तथा साक्षीगण की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, यदि किसी साक्षी को किसी प्रकार की धमकी, वचन या प्रलोभन द्वारा अपराध के तथ्यों की जानकारी देने में बाधा पहुंचाने का तथ्य प्रकट हो तो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य त्वरित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपराध की विवेचना के प्रति पीड़ित एवं जनता में विश्वास सुदृढ़ करने के प्रभावी उपाय किये जाये, जिससे भयमुक्त होकर परिवादी एवं साक्षी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके।

दण्ड विधि संशोधन अधि0 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, तथा अन्तर्निहित निर्देशों के अनुसार धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षीगण के बयान लेखबद्ध कराये जाये। परिवादी या साक्षीगण को प्रभावित किये जाने की सम्भावना प्रकट होने पर भी उनके बयान द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत लेखबद्ध कराया जाये।

2. अभियुक्त की गिरफ्तारी–

प्र0सू0रि0 पंजीकृत होने मात्र से ही यान्त्रिक रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का आधार होने पर आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिए। द0प्र0सं0 की धारा 41 (1–बी) की अपेक्षा के अनुसार गिरफ्तारी किये जाने अथवा न किये जाने का कारण लेखबद्ध किया जाना चाहिए। द0प्र0सं0 की धारा 170 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर 122 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

डीजी–परिपत्र सं0–22/2005 दिनांक 20.05.2005
डीजी–परिपत्र सं0–58/2013 दिनांक 17.10.2013
डीजी–परिपत्र सं0–278/2011दिनांक 20.11.2011
डीजी–परिपत्र सं0–57/2014 दिनांक 13.09.2014

3. जमानत–

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता सम्बन्धी प्रथम दृष्टया साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता, दोष सिद्धि पर दण्ड की कठोरता, जमानत दिये जाने पर अभियुक्त के पलायित होने का खतरा, अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना, गवाहो को प्रभावित किये जाने की संभावना अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार उसके संसाधन, समाज में स्थान, प्रतिष्ठा पूर्व अपराधिक इतिहास, न्याय के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना आदि पहलुओं पर विचार किया जाता है। जमानत का प्रभावी विरोध करने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य, अभियुक्त की अपराध में भूमिका तथा आपराधिक इतिहास आदि सहित उपरोक्त बिन्दुओं पर संगत अभिलेखों का समावेश करते हुए स्पष्ट आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस विषय में सम्बन्धित लोक अभियोजक से समन्वय स्थापित करके अभियुक्त की जमानत का सम्यक विरोध किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त आदेश दिनांक 19.05.2017 में जमानत स्वीकार किये जाते समय ध्यान दिये जाने योग्य तत्वों (Factors) के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि सिद्धान्त को उद्धरित करते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है:–

डीजी–परिपत्र सं0–30/2015 दिनांक 28.04.2015
डीजी–परिपत्र सं0–65/2014 दिनांक 17.10.2014
डीजी–परिपत्र सं0–69/2007 दिनांक 24.08.2007
डीजी–परिपत्र सं0–29/2008 दिनांक 11.03.2008
डीजी–परिपत्र सं0–26/2012 दिनांक 11.05.2012
डीजी–परिपत्र सं0–17/2009 दिनांक 25.03.2009
डीजी–परिपत्र सं0–40/2016 दिनांक 17.07.2016
डीजी–परिपत्र सं0 41/2013 दिनांक 01.08.2013

'The law relating to the grant of bail, the factors which must be considered were duly noted by the Supreme Court in State of U.P. V Amarmani Tripathi3. We may only reproduce the following observations appearing therein:-

"18. It is well settled that the matters to be considered in an application for bail are (i) whether there is any prima facie or reasonable ground to believe that the accused had committed the offence; (ii) nature and gravity of the charge; (iii) severity of the punishment in the event of conviction; (iv) danger of the accused absconding or fleeing, if released on bail; (v) character, behaviour, means, position and standing of the accused; (vi) likelihood of the offence being repeated; (vii) reasonable apprehension of the witnesses being tampered with; and (viii) danger, of course, of justice being thwarted by grant of bail [see Prahlad Singh Bhati v. NCT, Delhi [(2001)

4 SCC 280 : 2001 SCC (Cri) 674] and Gurcharan Singh v. State (Delhi Admn.) [(1978) 1 SCC 118 : 1978 SCC (Cri) 41 : AIR 1978 SC 179]]. While a vague allegation that the accused may tamper with the evidence or witnesses may not be a ground to refuse bail, if the accused is of such character that his mere presence at large would intimidate the witnesses or if there is material to show that he will use his liberty to subvert justice or tamper with the evidence, then bail will be refused. We may also refer to the following principles relating to grant or refusal of bail stated in Kalyan Chandra Sarkar v. Rajesh Ranjan [(2004) 7 SCC 528 : 2004 SCC (Cri) 1977] : (SCC pp. 535-36, para 11)

"11. The law in regard to grant or refusal of bail is very well settled. The court granting bail should exercise its discretion in a judicious manner and not as a matter of course. Though at the stage of granting bail a detailed examination of evidence and elaborate documentation of the merit of the case need not be undertaken, there is a need to indicate in such orders reasons for prima facie concluding why bail was being granted particularly where the accused is charged of having committed a serious offence. Any order devoid of such reasons would suffer from non-application of mind. It is also necessary for the court granting bail to consider among other circumstances, the following factors also before granting bail; they are:

(a) The nature of accusation and the severity of punishment in case of conviction and the nature of supporting evidence.

(b) Reasonable apprehension of tampering with the witness or apprehension of threat to the complainant.

(c) Prima facie satisfaction of the court in support of the charge. (See Ram GovindUpadhyay v. Sudarshan Singh [(2002) 3 SCC 598 : 2002 SCC (Cri) 688] and Puran v. Rambilas [(2001) 6 SCC 338 : 2001 SCC (Cri) 1124] .)"

4. जमानत निरस्त्रीकरणः–

अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सुसंगत तथ्य, साक्ष्य एवं विधि की अनदेखी करके तथा जमानत के लिए असंगत तथ्य, साक्ष्य एवं विधि पर विचार करके पारित जमानत आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होता है। जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात् अभियुक्त का आचरण, अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करना, पीडित तथा पीड़ित के परिवारीजन एवं अभियोजन साक्षी को डराना–धमकाना, जमानत की अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन करना या जमानत का दुरूपयोग करना, साक्ष्य को विद्रूपित करना और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना आदि अभियुक्त की जमानत निरस्त्रीकरण के आधार के कुछ दृष्टान्त है। जमानत आदेश त्रुटिपूर्ण होने अथवा अभियुक्त द्वारा जमानत पर रहते हुए परिवादी या साक्षी को डराने धमकाने एवं जमानत का दुरूपयोग किये जाने का तथ्य प्रकट हों तो अभियुक्त की जमानत निरस्त्रीकरण सहित अन्य विधि कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. विवेचना का पर्यवेक्षण–

गम्भीर एवं संवेदनशील अपराधों की विवेचना का उच्च अधिकारियों द्वारा सघन समीक्षा एवं निकट पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा गंभीर घटना घटित होने पर घटना स्थल का प्रत्येक दशा में शीघ्र निरीक्षण करके उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रदर्शों को संकलित कराया जाना चाहिए। घटना स्थल निरीक्षण में आवश्यकतानुसार स्थानीय फोरेन्सिक टीम की सहायता भी ली जानी चाहिए। अपराध के तत्वों के अनुसार विवेचना की रूपरेखा तैयार की जाये जिससे विवेचक को सही दिशा मिल सके। अपराध के अनावरण एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना हेतु समुचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जायें। विवेचना के प्रत्येक प्रक्रम पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा, आवश्यकतानुसार मामलें में विधिक एवं विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्यों यथा डी0एन0ए0टेस्ट, फोटोग्राफ, फुटप्रिंट,

डीजी–परिपत्र सं0–67/2013 दिनाक 09.12.2013
डीजी–परिप. सं0 57/2014 दिनांक 13.09.2014
शासनादेश सं01909/छः–पु–9–2015–31(36)/2014 दिनांक 05.08.2015
शासनादेश सं0 जी0आई 026/छः–पु0–14'31(36)/2014 दिनांक 22.04.2014
शासनादेश सं0 472ख/छः–पु–4–2017रिट(28)बी/2017 दिनांक 12.04.2017

फिंगर प्रिन्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिग, नार्को एनालिसिस टेस्ट आदि का उपयोग उचित मामलों में किया जाना चाहिए।

आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त सन्दर्भित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, परिपत्र तथा समय–समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन करके तत्परतापूर्वक, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं गुणात्मक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन के साथ सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

18/7/12

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0, लखनऊ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, सीबी सीआईडी/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/एसआईटी/रेलवे/ई ओ डब्लू उ0प्र0।
2–पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0।
3–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ0प्र0।
4–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।